कार्यालय : जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, फर्रुखाबाद।

संख्या : मेमो/विसेप्रा–फ0/2023, फतेहगढ़ : दिनांक : दिसम्बर 09, 2023

प्रेस–विज्ञप्ति

राष्ट्रीय लोक अदालत दिनांक 09.12.2023 में निस्तारित वादों का विवरण

माननीय राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण व राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, फर्रुखाबाद के तत्वावधान में तथा श्रीमान जनपद न्यायाधीश महोदय के कुशल निर्देशन में जिला न्यायालय से तहसील न्यायालयों तक आज दिनांक 09.12.2023 को राष्ट्रीय लोक अदालत का शुभारम्भ, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, फर्रुखाबाद के अध्यक्ष/जनपद न्यायाधीश श्री विनय कुमार तृतीय द्वारा न्यायिक अधिकारीगण व जिलाधिकारी श्री संजय कुमार सिंह व अन्य प्रशासनिक अधिकारीगण के साथ माँ सरस्वती के चित्र पर दीप प्रज्वलित कर माल्यार्पण किया गया। उनकी अध्यक्षता में प्रातः 10:30 बजे से सांयकाल तक राष्ट्रीय लोक अदालत का कार्यक्रम सम्पन्न किया गया।

राष्ट्रीय लोक अदालत में जनपद के विभिन्न बैंक, विद्युत विभाग, नगर पालिका परिषद एवं अन्य प्रशासनिक विभागों द्वारा अपने–अपने स्टाल लगाकर सम्बन्धित पक्षकारों के समक्ष उनकी सहमति के आधार पर सुलह–सन्धि कराते हुए मामलों का निस्तारण किया गया। 295 बैंक वसूली से सम्बन्धित मामलों को निस्तारित कर 43777445/– रुपये की वसूली धनराशि बैंकों द्वारा प्राप्त की गयी। 83036 विद्युत बिल सम्बन्धी मामलों का निस्तारण किया गया।

श्री अशोक कुमार, प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय एवं श्रीमती अन्जू कम्बोज, अपर प्रधान न्यायाधीश द्वारा कुल 72 पारिवारिक/वैवाहिक वादों का निस्तारण किया गया। इसमें से सुलह समझौते के आधार पर 12 पति–पत्नी को एक साथ रहने के लिए विदा किया गया। पीठासीन अधिकारी मोटर वाहन दुर्घटना प्रतिकर अधिनियम श्री सन्तोष कुमार तिवारी द्वारा 117 वादों का निस्तारण कर 25382000/– धनराशि प्राप्त करायी गयी। श्री नरेश कुमार अध्यक्ष जिला उपभोक्ता फर्रुखाबाद द्वारा अपने न्यायालय से 52 मामले निस्तारण कर रुपया 1394261/– की धनराशि एवार्ड की गयी। **उक्त वादों में से एक वाद सन् 1998 का भी निस्तारित किया गया।**

राष्ट्रीय लोक अदालत में जनपद के विभिन्न न्यायालयों/विभागों/कार्यालयों द्वारा अलग–अलग मामले चिन्हित कर निस्तारित किये गये। कुल लम्बित 4533 मामलों में से 3999 तथा प्री–लिटिगेशन के 276463 मामलों में से 274119 मामले निस्तारित किये गये हैं। **इस प्रकार कुल 280996 मामलों में से 278118 मामलों का निस्तारण कर कुल 83657207.25 /– रुपया धनराशि** जमा करायी गयी**। सभी विभागों एवं अधिकारियों के सहयोग से लक्ष्य से अधिक मुकदमों का निस्तारण किया गया है।**

राष्ट्रीय कार्यक्रम में उपस्थित होकर सहयोग देने वाले अधिकारीगण में श्री अशोक कुमार, प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, श्री विष्णु चन्द्र वैश्य, अपर जिला जज प्रथम, श्री महेन्द्र सिंह, एस0सी0/एस0टी0 एक्ट/विशेष न्यायाधीश/नोडल अधिकारी राष्ट्रीय लोक अदालत, सुश्री शैली राय विशेष न्यायाधीश ई.सी. एक्ट, श्री राकेश कुमार अपर जिला जज, श्री अंकित कुमार मित्तल अपर जिला जज, श्री नरेन्द्र प्रकाश अपर जिला जज, श्री सुमित प्रेमी, विशेष न्यायाधीश पाक्सो, सुश्री अन्जू कम्बोज, अपर प्रधान न्यायाधीश, श्री संदीप तिवारी अपर जिला जज त्वरित न्यायालय प्रथम, श्री घनश्याम शुक्ला, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, श्रीमती प्रीतिमाला चतुर्वेदी, सिविल जज व0प्र0, श्रीमती शाम्भवी द्वितीय सिविल जज अ0प्र0 (सिटी), सुश्री साक्षी मिश्रा, जे0एम0 सदर, श्री यशार्थ विक्रम, सिविल जज अ0प्र0 (हवाली), श्री विजय रतन गौतम न्यायाधीश ग्राम न्यायालय अमृतपुर, सुश्री माला कुमारी सिविल जज जू0डि0/एफटीसी, श्री राम सिंह मौर्या, लिपिक जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, मो0 आरिफ खां, कोर्ट मैनेजर, केन्द्रीय नाजिर मो0 हफीज अहमद सैफी, व विभिन्न न्यायालयों, बैंकों व विभागों के अधिकारीगण, कर्मचारीगण, परा विधिक स्वयंसेवकगण एवं वादकारीगण उपस्थित रहे। राष्ट्रीय लोक अदालत के सफल कार्यक्रम के समापन पर श्री विनय कुमार तृतीय जनपद न्यायाधीश एवं श्री संजय कुमार, सचिव/अपर जिला जज, जिला विधिक प्राधिकरण फर्रुखाबाद द्वारा आभार व्यक्त किया गया।

(संजय कुमार)
सचिव/अपर जिला जज
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण,
फर्रुखाबाद।